न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 320/2017 निर्णय दिनांक :–02.12.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

श्रीमती लादी देवी पत्नी भंवरलाल रेगर निवासी देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीया –

बनाम

1. कल्याण पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रणजीत पुत्र मोहन जाति रेगर निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्रीमान तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण –

–उपस्थिति –

श्री राजकुमार कोठारी
अधिवक्ता प्रार्थीया

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ख0नं0 3435 रकबा 0.41 है0 में से हिस्सा 1/2 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी सम्वत 2066–69 की जमाबन्दी में मोहन, गंगाराम पिता बीरमा रेगर निवासी देवली गांव के नाम अंकित थी। उक्त आराजी में से मोहन पुत्र बीरमा ने अपना 1/2 हिस्सा को दिनांक 12.05.2005 को जरिय रजि0 विक्रय पत्र प्रार्थीया के पक्ष में बेचान कर कब्जा संभला दिया गया था तभी से प्रार्थीया उक्त भूमि के खसरा नं. 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 पूर्वी भाग पर बतौर मालिक एवं काबिज काश्त करती चली आ रही है। वर्तमान में गेहूं की फसल भी अपने उक्त हिससे में प्रार्थीया नही काश्त कर रही है। प्रार्थीया के पक्ष में हुए विक्रय पत्र का नामान्तकरण जरिये क्रमांक 2228 दिनांक 04.12.2009 को खेला जाकर स्वीकृत हो चुका है जिसका अंकन भी लाल स्याही से जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के खाता संख्याा 898 में हो चुका है। राजस्व कर्मचारीगण द्वारा जब नई जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 995 में उक्त खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.41 है0 का गलती से विक्रेता मोहन पुत्र बीरमा के नाम ही अंकित कर दिया गया है जो विभागीय भूल है। इसके पश्चात मोहन पुत्र बीरमा रेगर का देहान्त हो जाने से फोती का नामान्तकरण सं. 3381 दिनांक 31.05.2016 को उक्त खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 को अप्रार्थी संख्या 1 कल्या, अप्रार्थी संख्या 2 रणजीत पिता मोहन रेगर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि मोहन ने अपने जीवनकाल में ही अपना हिस्सा वादीया को विक्रय कर दिया गया था जिसकी सम्पूर्ण जानकारी

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को थी। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये रिलीज डीड अपने हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 कल्याण के पक्ष में हक छोड़ना बताते हुए जरिये नामान्तकरण संख्या 3325 दिनांक 20.10.2015 से उक्त खसरा नम्बर 3435 हिस्सा 1/2 को अकेले कल्याण पुत्र मोहन रेगर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया जो गलत है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वह अपने नाम के गलत इन्द्राज केक कारण उक्त आरजी ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 वाके तन ग्राम देवली गांव तहसील देवली को अन्य किसी को रहन, दाने बेचान आदि नहीं करे ना ही प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजामहत पैदा करे एवं पाबन्द रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2005 में मोहन पुत्र बीरमा ने खसरा नंम्बर 3435 रकबा 0.41 है0 में से 1/2 हिस्से का बेचान श्रीमती लादी देवी को किया गया है। नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम देवली के कॉलम 5 में प्रार्थीया का नाम नामान्तकरण खोला गया है, दर्शित है। जमाबन्दी संम्वत 2070–73 वाके ग्राम देवलीगांव में ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा मोहन गंगाराम पुत्र बीरमा रेगर के नाम ही दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि मोहन ने अपना हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से लादीदेवी को बेचान किया है जिसका नामान्तकरण भी अमल नामान्तकरण रजिस्टर देवलीगांव में हुआ है परन्तु सहवन से जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प्रार्थीया का नाम नहीं आ पाया है जिसकी प्रार्थीया हकदार है। अतः अप्रार्थीगण 1 ता 2 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.41 है0 हिस्सा 1/2 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली में प्रार्थीया के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे तथा ख. नं. 3435 रकबा 0.41 है0 वाके तन ग्राम देवली गांव तहसील देवली को अन्य किसी को रहन, दाने बेचान आदि नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ताफैसलावाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली